विज्ञप्ति

यू0पी0 आयुष पी0जी0 काउंसिलिंग–2023 के स्ट्रे वैकेन्सी चक्र की ऑनलाईन काउन्सिलिंग की समय सारणी।

उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय/निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थानों के पी0जी0 पाठ्यक्रमों (एम0डी0/एम0एस0) में प्रवेश हेतु **स्ट्रे वैकेन्सी चक्र** की आनलाइन काउन्सिलिंग की समय–सारणी निम्नवत है:–

स्ट्रे वैकेन्सी काउन्सिलिंग चक्र		
क्र0स0	विवरण	दिनॉक/समय
1	ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि	दिनांक 06.12..2023 पूर्वाहन 10.00 बजे से दिनांक 07.12. 2023 (पूर्वाहन 10:00 बजे) तक
2	धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि	दिनांक 06.12..2023 पूर्वाहन 11.00 बजे से दिनांक 08.12. 2023 (रात्रि 11:59 बजे) तक
3	आनलाइन अभिलेखों का सत्यापन	दिनांक 07.12.2023 (पूर्वाहन 10.00 बजे से सायं 05:00 बजे) तक एवं दिनांक 08.12.2023 (अपराहन 02:00 बजे) तक
4	पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची (State Merit List) का प्रकाशन	दिनांक 08.12.2023 (सायं 04:00 बजे) तक
5	ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग (वरीयता विकल्प) भरने एवं सीट लॉक करने की तिथि	दिनांक 08.12.2023 मेरिट सूची (State Merit List) के प्रकाशन के बाद से दिनांक 10.12.2023 (रात्रि 11:59 बजे) तक
6	अनंतिम सीट आवंटन सूची/सूचियों का प्रकाशन	दिनांक 11.12.2023 (अपराहन 02:00 बजे) तक
7	नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन	दिनांक 13.12.2023 को (पूर्वाहन 10 बजे से सायं 05:00 बजे) तक
8	आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित संस्था में प्रवेश की तिथि	दिनांक 13.12.2023 से 14.12.2023 (सायं 05:00 बजे) तक

- एन0सी0आई0एस0एम0/एन0सी0एच0 आयुष मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 09.11.2023 के क्रम में AIAPGET–2023 में संशोधित न्यूनतम अर्हता निम्नवत होगी–

क्र0सं0	श्रेणी	न्यूनतम अर्हता
1	अनारक्षित /आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग	45 परसेन्टाइल
2	अन्य पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	35 परसेन्टाइल
3	अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के दिव्यांग	40 परसेन्टाइल
4	अन्य पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग	35 परसेन्टाइल

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसिलिंग में पंजीकरण नहीं कराया था, वह पी0जी0 काउसिलिंग 2023 की वेवसाइट **www.upayushcounseling.upsdc.gov.in** पर पंजीकरण शुल्क रूपये 2000/– जमा करके प्रतिभाग कर सकते हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई हो, ऐसे अभ्यर्थी काउंसिलिंग हेतु अर्ह होंगे। उन्हे पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की फिर से आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सीधे च्वाइस फीलिंग कर सकेगें।

Scanned with CamScanner

- अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल अभिलेखों को भौतिक सत्यापन के समय नोडल सेन्टर राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, निकट रमाबाई रैली स्थल रायबरेली रोड औरंगाबाद, लखनऊ पर लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। अन्यथा कि स्थिति में उनके अभ्यर्थन पर विचार नही किया जायेगा।
- AACCC द्वारा स्टेट काउंसिलिंग के लिये घोषित अनर्ह अभ्यर्थी (In-eligible candidates) स्ट्रे बैकेन्सी चक्र की काउंसिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- स्ट्रे बैकेन्सी चक्र में अभ्यर्थी को पुनरावंटन (reshuffling) अनुमन्य नही है।
- अभ्यर्थी यदि अपनी आवंटित सीट पर प्रवेश नही लेता है, तो उसकी धरोहर धनराशि (राजकीय आयुष कालेज हेतु रूपये 20000/– एवं निजी क्षेत्र के कालेज हेतु रूपये 50000/– विभाग के पक्ष में) जब्त हो जायेगी।
- स्टेट कोटा की सीट हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (एन0सी0एल0) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से दिनाक 01.04.2023 अथवा उसके बाद का निर्गत होना चाहिए। **भारत सरकार के सेवा योजन हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।**
- दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबध में विवरण पुस्तिका के संलग्नक सं०–05 के अनुसार जारी प्रमाण–पत्र ही मान्य होगे।
- आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से प्रमाणित नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी श्रेणी/उपश्रेणी सुसंगत श्रेणी में परिवर्तित कर दी जायेगी।
- अर्हता का प्रमाणीकरण संबधित अभिलेखों के भौतिक सत्यापन द्वारा अन्तिम रूप से किया जायेगा, जिसके लिये अभ्यर्थी को अपने समस्त अभिलेख, मूल रूप में लेकर निर्धारित समय, तिथि एवं स्थान पर स्वयं उपस्थित होकर सत्यापन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी मान्य मूल अभिलेख के अभाव में अर्हता प्रमाणित नहीं होती है तो ऐसी दशा में तद् सम्बन्धित लाभ समाप्त अथवा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- स्ट्रे बैकेन्सी चक्र की आवंटन प्रक्रिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी की सीटे रिक्त रहती है, तो उन्हें नियमानुसार सम्बन्धित श्रेणी में आमेलित/परिवर्तित करते हुए आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
- **ऑनलाइन काउंसिलिंग की अद्यतन जानकारी हेतु वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।**
  ईमेल आई0डी0– upayushpgcounselling2022@gmal.com हेल्पलाइन नंम्बर– 8858690886

प्रो0 अब्दुल वहीद
सदस्य सचिव, यू0पी0 आयुष पी0जी0
काउसिंलिग 2023

Scanned with CamScanner